कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

परिशोधित आदेश

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1110/2020 बिलासपुर, दिनांक–27.03.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1537/2020 बिलासपुर दिनांक– 24.03.2020 माध्यम से जिला बिलासपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की **कंडिका–स** में उल्लेखित संस्थानों/दुकानों के संदर्भ में आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1528/2020 बिलासपुर दिनांक– 24.03.2020 तथा समसंख्यक आदेश दिनांक–दिनांक– 26.03.2020 के परिशोधित आदेश द्वारा दुकानों को खुलने तथा बंद होने का समय निर्धारित किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दुकानों/संस्थानों के लिए संशोधन आदेश जारी किया जाता है–

क्रमांक	संस्थानों/दुकानों का विवरण	खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज चिकन, मटन, मछली)	सुबह 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
2	गैस एजेंन्सी	सुबह 7.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक
3	बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे)	सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक
4	डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की एवं मोबाईल रिचार्ज दुकानें	सुबह 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
5	मिल्क पार्लर	सुबह 7.00 बजे से सुबह 10.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक

कार्यालयीन आदेश क्रमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1537/2020 बिलासपुर दिनांक– 24.03.2020 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ–26/2020/17–1 दिनांक– 13.03.2020 के अन्तर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला बिलासपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक– 31.03.2020 रात्रि 12.00 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, प्रभावशील होगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

(डॉ0 संजय कुमार अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

पृ0क्र0 / रीडर–जि0दण्डा / 1110-A / 2020 बिलासपुर, दिनांक–27.03.2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

11– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर / कोटा / मस्तुरी एवं बिल्हा,

12– तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी.................................समस्त जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner